

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक: 20.11.2018

वरिष्ठ अध्यापक-गणित (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2015 के प्रथम प्रश्न पत्र जी. के. की परीक्षा दिनांक 07.02.2018 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र गणित की परीक्षा दिनांक 10.02.2018 को ऑनलाईन रूप से आयोजित की गई। उक्त परीक्षा हेतु निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नम्बर के सम्मुख कोष्ठक में अंकित वरियता क्रमानुसार मुख्य सूची हेतु अस्थाई रूप से सफल घोषित किया जाता है।

यह सूचियां पूर्णतया अस्थाई अनन्तिम (Purely Provisional) है, इनकी पात्रता जांच नहीं की गई है। अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति सहित दिनांक 30.11.2018 सांय 06.00 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में जमा करवा दें। विस्तृत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इनकी पात्रता की जांच की जायेगी। तदुपरान्त स्पष्ट पाए गए पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जायेंगे।

रोल नम्बर मय मेरिट क्रमांक

101081 (30)	101360 (15)	101464 (13)	101631 (4)
101827 (2)	102056 (3)	102309 (31)	102425 (10)
102428 (21)	102601 (23)	102946 (11)	103049 (19)
103127 (1)	103144 (33)	103153 (26)	103256 (5)
103386 (6)	103442 (7)	103488 (32)	103696 (14) (P)
103733 (12)	103752 (25)	103819 (28)	103936 (35)
103993 (27)	104380 (34)	104399 (8)	104618 (9)
104666 (22)	105741 (29)	106562 (24)	106800 (18)
106859 (20)	106957 (17)	107063 (16)	

Total Candidates: - 35

CUT OFF MARKS SUBJECT- MATHS Main List

CATEGORY		CUT OF MARKS	DOB
GEN	GEN	49.65	01-07-83
	WE		
SC	GEN	N.A.	-
OBC	GEN	80.46	25-07-77

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY	CUT OF MARKS	DOB
LD/CP	N.A.	-

नोट:-

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभ्यर्थी रोल नं. 106477 एवं 102052 (दो अभ्यर्थी) का परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है।
- उक्त परिणाम में सशर्त एवं अस्थाई पात्र (Provisional) अभ्यर्थियों का परिणाम एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2364/2016 रतन लाल पलसानिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व 23 अन्य याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- सफल/असफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यथाशीघ्र आयोग की वेबसाईट पर जारी कर दिये जायेंगे।

(पी.सी. बेरवाल)
सचिव